

प्रेषक,

अनुतोष कुमार शर्मा,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-1, कासगंज।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
जनपद कासगंज।

विषय- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या- 9691/IV-F-82 (Pension) /Admin.(A) Dated July 16, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

01- कृपया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उपरोक्त वर्णित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 28 जून, 2024 व संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1)/2024, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना के विकल्प हेतु आच्छादित होने वाले न्यायिक अधिकारीगण के सन्दर्भ में निर्गत किया गया है।

02- यह कि उक्त के सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि आवेदक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26-05-2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या- 2430/दो-4-06-32 (1)/ 2001 टी सी-1 लखनऊ) से हुयी थी।

03- यह कि आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या- 996/DR (S)/2006 दिनांकित 13-06-2006 के अनुक्रम में दिनांक 14-06-2006 को जनपद मुजफ्फरनगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

04- यह कि आवेदक की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन संख्या- ए-2/ई-1/2003 के अन्तर्गत हुयी थी, जिसे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, सिविल जज (जू0डि0), 2003 की परीक्षा हेतु निर्गत किया था। चूंकि आवेदक की नियुक्ति का विज्ञापन दिनांक 28-03-2005 से पूर्व निकला था, अतः आवेदक शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है।

.....शेष पृष्ठ 2 पर


५

05- यह कि आवेदक उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1)/2024, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में विहित विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने हेतु इस पत्र के साथ प्रेषित रहा है।

06- अतः श्रीमान् जी के माध्यम से माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदक को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने की महती कृपा करें

सादर।

भवदीय,


26-7-24

(अनुतोष कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-1, कासगंज।
(J.O. I.D. No. UP 6218)

दिनांक-26-07-2024

1833 XV 26/07/24
Forwarded

District Judge, Kasganj
26-07-2024

शासनादेश संख्या-20/ 2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1)/2024

दिनांक 11 जुलाई, 2024

विकल्प पत्र

- 1- नाम- अनुतोष कुमार शर्मा
- 2- वर्तमान पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, कासगंज।
- 3- वेतनमान- 1,78,150/-रूपये
- 4- वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग।
- 5- राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- न्याय विभाग।
- 6- विज्ञप्ति की तिथि- ए-2/ई- 1/ 2003, रोजगार समाचार 22-28 नवम्बर, 2003
- 7- विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26-05-2006
- 8- योगदान की तिथि- 14-06-2006
- 9- जन्मतिथि- 02-04-1976
- 10- सेवानिवृत्ति की तिथि- 30-04-2036

मैं अनुतोष कुमार शर्मा पुत्र राजवीर शर्मा शासनादेश संख्या- 14/ 2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1)/2024, दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/ ~~बकीन पेंशन योजना~~ (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर.....

नाम- अनुतोष कुमार शर्मा।

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या-1, कासगंज।

.....शेष पृष्ठ 2 पर

घोषणा पत्र

मैं अनुतोष कुमार शर्मा, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, कासगंज यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या- 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.....
Anubosh
26-7-24

नाम- अनुतोष कुमार शर्मा

पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या-1, कासगंज

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री अनुतोष कुमार शर्मा, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, कासगंज को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/ नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष की संस्तुति

17
District Judge
Kasganj
26-07-2024